(6) इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई ।

सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

3497. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सूती कपड़े के प्रसंस्करण पर उत्पाद-शुल्क लगा देने के कारण सूती कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्पाद-शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप देश में सूती कपड़े के मूल्य और बढ़ जाएंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि देश में सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि होगी जबकि सिंथेटिक सूत के कपड़ों की कीमतें स्थिर रहेंगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछले तीन वर्ष के दौरान सिंथेटिक धागे से बने कपड़ों तथा सूती धागे से बने कपड़ों के मूल्यों में क्रमशः कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सूती फैब्रिक्स के प्रसंस्करण पर उत्पाद शुल्क लगाने से सूती फैब्रिक्स की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होती है।

(ख) और (ग) 1995-96 में सूती फैब्रिक्स पर उत्पाद शुल्क 1994-95 के बजट के अनुसार ही बनी रही और इसलिए उत्पाद शुल्क के कारण कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हौजरी/निटेड फैब्रिक्स पर हाल ही में लगाया गया उत्पाद शुल्क वापस ले लिया गया है।

(घ) और (ङ) कलाथ सहित वस्त्रों की कीमतें मुख्यतः बाजार प्रतिबल द्वारा शासित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल निर्मित सूती तथा सिंथेटिक कपड़े की कीमतें नीचे दी गई हैं :—

(रुपए/मीटर में)

	1992-93 (मार्च)	1993-94 (मार्च)	1994-95 (मार्च)
सूती कपड़ा			
मिल पर	20.67	22.69	27.33
सिन्थेटिक कपड़ा			
मिल पर	51.80	51.10	51.47

सरकार कीमतों पर नजदीकी नजर रखती है और जब कभी आवश्यकता होती है उपयुक्त कदम उठाती है ।